न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/15/19	22–03–2019	22–07–2019

1. रामोती पत्नी हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम महुआकला तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेम प्रकाश पुत्र हरिराम मीणा निवासी ग्राम महुआकला तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर दिनांक 04–02–2019

उपस्थितः–

01. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री रामनिवास जाट –वकील रेस्पौडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 04–02–2019 जिसके द्वारा 1500/– रूपये अप्रार्थी, प्रार्थी के बैक खाते में जमा कराने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उप खण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के समक्ष माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 04–02–2019 जिसके द्वारा 1500/– रूपये अप्रार्थी कमल कुमार प्रतिमाह प्रार्थी के बैक खाते में जमा कराने के आदेश दिये गये है। अपीलान्ट के पास भरण–पोषण करने के लिय आय पर्याप्त साधन नहीं है। अपीलान्ट 85 वर्ष वृद्व महिला है। अपीलान्ट का पति सडक दुर्घटना में देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट एक ही पुत्र रैस्पा0 है जो एम्स हॉस्पीटल दिल्ली में राजकीय कर्मचारी है जिससे मासिक करीब 50–60 हजार वेतन मिलता है और उसके ऊपर अन्य कोई अतिरिक्त भार नहीं है। अपीलान्ट के पति की खेती भी रैस्पा0 के पास ही है एवं 5–6 प्लॉट है। जमीन से रैस्पा0 को जो आय होती है वही रखता है। अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है। अक्सर बीमार रहती है और ऑखों से कम दिखाई देता है ऑखो का आपरेशन भी होना है। रैस्पा0 अपीलान्ट की कोई देखभल करता है और ना ही ईलाज करता है। रैस्पा0 व उसकी पत्नी अपीलान्ट से झगडा करते है। पति के घर से जबरन निकालने का अमादा है। अपीलान्ट को रैस्पा0 के साथ रहने में जानमाल का खतरा है। अपीलान्ट अलग किराये के मकान में रहना

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

चाहती है। अपीलान्ट को उसकी जायज जरूरतों दवाई, ईलाज खाना पीना कपडा इत्यादि किराये के मकान हेतु मासिक करीब 15 हजार रूपये भरण पोषण के रूप में पाने की मुश्तहक है। अपीलान्ट की जीवन आर्थिक संकट व भूख प्यास व बीमारी में कट रहा है। पिता का भरण–पोषण करने का दायित्व उसका भी है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट की आय व खर्चे का निर्धारण किए ही 1500/–रूपये मासिक देने के आदेश दे दिये, जो गलत है। अपीलान्ट अक्सर बीमार रहता है तथा अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है। किन्तु तहत अदालत ने बिना तथ्यों की जॉच किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पौ0 की माता है और रैस्पा0 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के पास आय का अच्छा साधन है अपीलान्ट के नाम ग्राम महुवाकला में कृषि भूमि है और अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है। अपीलान्ट आराजी को बटाई पर देकर अच्छी फसल प्राप्त होती है जिसकी आय लगभग 1.50 लाख रूपये सालाना की हो जाती है। जो अपीलान्ट के लिए पर्याप्त से अधिक है जीवन यापन के लिए कोई आर्थिक संकट नही है। अपीलान्ट मानसिक रोगी भी है जो दीगर लोगों के बहकावे में आकर झूठा मुकदमा किया है। अपीलान्ट अपनी बुजुर्गानी जायदाद में रिहायश करती है। रैस्पा0 ने अपीलान्ट को अपने साथ रखने से कभी इंकार नही किया। रैस्पा0 की 6 लडकियॉ, 3 बहिन, 3 भूआ भी है, जिनकी सभी सामाजिक जिम्मेदारियां रैस्पा0 ही निभा रहा है। रैस्पा0 अपना वेतन से इस महगाई के जमाने में बामुश्किल गुजर बसर कर रहा है। अपीलान्ट अपने घर में परिवार के साथ शांति पूर्वक जीवनयापन कर रही है। अपीलान्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत से आदेश प्राप्त किया है। अपीलान्ट गलत आधारों पर कोई गुजारा भत्ता 1,500 रूपये मासिक प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है। अक्सर बीमार रहती है और ऑखों से कम दिखाई देता है ऑखो का आपरेशन भी होना है। रैस्पा0 अपीलान्ट की कोई देखभल करता है और ना ही ईलाज करता है। रैस्पा0 व उसकी पत्नी अपीलान्ट से झगडा करते है। पति के घर से जबरन निकालने का अमादा है। अपीलान्ट को रैस्पा0 के साथ रहने में जानमाल का खतरा है। अपीलान्ट एवं रैस्पा0 माता एवं पुत्र है और परिवार के साथ रह रहें है, अपीलान्ट के पास खातेदारी की आराजी है। अपीलान्ट के पास आय का पर्याप्त साधन है। जहां तक अपीलांट द्वारा उठाये गये तर्क निराधार प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर का आदेश दिनांक 04–02–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

साथ तहत पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर को वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर